भारतीय दंड संहिता की धारा 375:

'भारतीय दंड संहिता' की धारा 375 (Section 375 of the Indian Penal Code), में एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संभोग को एक विशिष्ट शर्त के साथ बलात्कार के अपराध से 'छूट' दी गयी है। इस छूट को "वैवाहिक बलात्कार अपवाद" (Marital Rape Exception) के रूप में भी जाना जाता है।

आईपीसी की धारा 375 के अनुसार, "यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है तो, अपनी पत्नी के साथ एक पुरुष द्वारा संभोग करना, बलात्कार नहीं है"।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के निष्कर्ष:

- कभी भी विवाहित रह चुकी अथवा वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से 7% महिलाओं को वैवाहिक यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है।
- 15-49 आयु वर्ग की विवाहित रह चुकी अथवा वर्तमान में विवाहित एवं वैवाहिक यौन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में से 83% महिलाओं ने अपने वर्तमान पति को, और 9% महिलाओं ने अपने पूर्व पति को यौन हिंसा करने वाला अपराधी बताया है।

वैवाहिक बलात्कार से छूट संबंधी वर्तमान विवाद:

यद्यपि, सरकार कई मौकों पर कह चुकी है, कि 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध घोषित करने से 'विवाह- संस्था' संकट में पड़ जाएगी, किंतु विशेषज्ञों के अनुसार, 'निजता के अधिकार' सहित शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसलों ने सरकार के इस तर्क को कमजोर कर दिया है।

सरकार के इस दृष्टिकोण पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाने वाले हालिया फैसले:

- **'इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ'** (Independent Thought vs. Union of India) मामले में अक्टूबर 2017 का फैसला। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 'नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार' को अपराध घोषित कर दिया था।
- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ** (सितंबर 2018) मामले में, शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से संविधान द्वारा गारंटीकृत प्रत्येक व्यक्ति की 'निजता के मौलिक अधिकार' को मान्यता प्रदान की थी।
- **'जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया'** मामला (अक्टूबर 2018)। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा 'व्यभिचार' (Adultery) को अपराध घोषित करते हुए इसकी भर्त्सना की थी।

वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिए उपलब्ध उपाय:

पीड़ितों के पास 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम', 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के तहत प्रदान किए गए नागरिक उपचार का ही सहारा होता है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किए जाने की आवश्यकता:

1. कई अध्ययनों के अनुसार, अपनी पत्नियों के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाना और शारीरिक रूप से अपनी पत्नियों को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना एक आम बात पायी गयी है।
2. विवाह एक 'समान-संबंधों' का अनुबंध होता है, और यह हर चीज के लिए एक बार में ही प्रदान की गयी सहमति नहीं है।
3. कानून में 'पति को बलात्कार करने की दी गयी विधिक छूट' पुरुषों को असमान विशेषाधिकार प्रदान करती है।
4. वैवाहिक बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को दीर्घ-गामी मनोवैज्ञानिक चोट झेलनी पड़ती है।
5. धारा 375 के तहत अपवाद, महिला को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है।
6. भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति से पुरुषों के दिमाग में यह बात बस जाती है, कि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि जब उनके पति सेक्स की मांग करें तो वे इसका पालन करें।